न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)
राजस्व आवेदन संख्या :– 70/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हीराराम पुत्र सोनाराम 2. लालाराम पुत्र सोनाराम 3. गिरधारीराम पुत्र सोनाराम 4. कुंभाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी दूधू हाल निवासी डबोई ग्राम पंचायत डबोई तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।		1. खिंवणी पत्नी लालाराम 2. भंवराराम पुत्र लालाराम 3. मोहनराम पुत्र लालाराम कौम सुथार निवासी डबोई ग्राम पंचायत डबोई तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–21.06.2023

अधिवक्तागण:–
01. श्री देवाराम चौधरी, श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
02. श्री हापूराम विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 03

–::निर्णय::– दिनांक:– 27.02.2024

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया क आपके उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना में हमारे कब्जा काश्त की जोत में जाने हेतु अन्य खातेदार काश्तकारों की जोत में से होकर नया मार्ग निकलवाना चाहते हैं हम/ मैं प्रस्तावित नये मार्ग को कई वर्षो से रास्ते के रूप में उपयोग लेता आ रहा हूँरु रहे हैं यही जगह हैं जहां पर रास्ता हैं उसे लम्बे समय से रास्ते का उपयोग लेता आ रहा हूँ/ रहे हैं जो वर्तमान में विध्यमान हैं इसलिए नये मार्ग खुवाने के लिए अर्न्तगत धारा 251 ए की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व संशोधित अधिनियम 2010 के तहसत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ रहे है। मेरे / हमारे खेत जो पटवार मण्डल बोर चारणान् के राजस्व ग्राम उबोर्ठ में आया हुआ हैं कि मेरे / हमारे खेत खसरा संख्या 267 रकबा 10.3880 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयमें जिसमें आने– जाने हेतु कोई राजकीय कट्टान मार्ग नहीं है कि मेरे / हमारे खेत पड़ौस के खेत खसरा संख्या 266/1 क्षेत्रफल 1.9991 हैक्टेयर किस्म बोयम में से होते हुए कट्बटान मार्ग/

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य सड़क जो डबोई से पुरावा को जाती हैं यक एकमात्र आने– जाने का विकल्प है। मैं /हम इसी रास्ते से होकर मेरे/ हमारे खेत तक आ जा सकता हॅ/ सकते है जिसका उपयोग कई वर्षो से लगातार रास्ते के रूप में लेता आ रहा हूॅ/ रहे हैं कि मुख्य रास्ते से होकर मुझें मेरी/ हमें हमारी खातेदारी तक एक रास्ते की आवश्यकता हैं जिससे मेरे/ हमारे खेत में आ जा सकते है। जिससे रास्ते के रूप में विगत कई वर्षो से उपयोग लेता आ रहा हूॅ / रहे है। मौके पर रास्ता हैं जिसका उपयोग ले रहा हूॅ। कि मौजा डबोई के खसरा संख्या 266/1 रकबा 1.9991 हैक्टेयर जिसके कट्टाण रास्ता/सड़क जुड़ा हुआ है। जिसमें मेरे /हमारे खेत को जोड़ा जाये जिससे मेरे/हमारे खेत में रास्ते की सुगमता हो सकेगी कि उक्त रास्ते जिसका उपयोग रास्ते के रूप में कई वर्षो से लिया जा रहा है वर्तमान मे भी मेरे/हमारे द्वारा रास्ते के रूप में भूमि का उपयोग करता आ रहा हूं/रहे है। जिसका नक्शा अलग से सलंग्न है परिशिष्ट – अ अनुसार रहेगा। कि मेरे/हमारे खसरे के समीप इस राजकी सड़क या कट्टाण मार्ग के अलावा अन्य कोई राजकीय कट्टाण या सड़क, पगडंडी इत्यादी नही है जिससे मै/हम अपने खेत को जोड़ सकता हूं/सकते है। कि यह एक ही रास्ता है जिसमे मै /हम अपने खेत को राजकीय रास्ते से जोड़ सकता हू/सकते है अन्य कोई विकल्प नही है। इस आशय का यह आवेदन श्रीमानजी की सेवा में पेश है।

आवेदन में अनावश्यक विवरण निम्न प्रकार है :–

a. आवेदक/ आवेदकगण का नाम –

1. हीराराम वल्द श्री सोनाराम उम्र 69 वर्ष
2. लालाराम वल्द श्री सोनाराम उम्र 67 वर्ष
3. गिरधारी वल्द श्री सोनाराम उम्र 62 वर्ष
4. कुंभाराम वल्द श्री सोनाराम उम्र 60 वर्ष

b. आवेदन /आवेदकगण का पूर्ण पता :–

कौम जाट साकिन दूधू हाल निवासी डबोई ग्राम पंचायत डबोई तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

c. आवेदक के कब्जा क्षेत्र का विवरण :–

1. ग्राम का नाम उपखण्ड क्षेत्र का नाम जिसमें कब्जा क्षेत्र स्थित है :–

गंव डबोई पटवार मण्डल बोर चारणान उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना जिला बाड़मेर।

खसरा नम्बर व रकबा :–

खसरा नम्बर 267 रकबा 10.3680 हैक्टेयर किस्म बा0 सोयम।

2. जिस अन्य खातेदारों की जोत में नया मार्ग चाहा गया है उसका विवरण :–

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

नाम, पिता/पति का नाम एवं उम्र :–

1. खिवणी पत्नी श्री लालाराम उम्र 65 वर्ष
2. भंवराराम वल्द श्री लालाराम उम्र 36 वर्ष
3. मोहनराम वल्द श्री लालाराम उम्र 42 वर्ष कौम सुथार साकिन डबोई ग्राम पंचायत डबोई तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना जिला बाड़मेर।

कि पक्षकार संख्या 04 जो भूमिपति तहसीलदार होने से पक्षकार बनाये गये है साथ ही चाहा गया रास्ता जिसका उल्लेख परिशिष्ट – अ में उल्लेखित है।

पूर्ण पता :–

निवासी विप्राथी ग्राम डबोई ग्राम पंचायत डबोइ तहसील व उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना जिला बाड़मेर।

गांव का नाम, उपखण्ड क्षेत्र का नाम, जिसमें भूमि क्षेत्र (जोत) स्थित है :–

मौजा डबोई, ग्राम पंचायत डबोई पटवार मण्डल बोर चारणान तहसील व उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर।

खसरा नम्बर व रकबा :–

क्र. स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	मौजा	खातेदार का नाम
1	266/1	1.9991 हैक्टे.	बा. सोयम	0.07 बीघा अर्थात् सात बिस्वा	डबोई	विप्रार्थीगण :– 1. खिवणी पत्नी लालाराम 2. भंवराराम पुत्र लालाराम 3. मोहनराम पुत्र लालाराम
				बरंग – हरा		

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थ्रीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियमानुसार बाद जांच प्रार्थीगण को अपने जोत में जाने हेतु नया मार्ग प्रदान करने आदेश फरमावें साथ ही विध्यमान मार्ग या रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक ए.डी. से नोटिस भिजवाए गए, अप्रार्थी सं. 1 से 03 तामिल के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 27.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफका कार्यवाही अमल में लाई गई थी लेकिन अंतिम वहस में विप्रार्थीगण को वहस का मौका दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाएं तथा प्रार्थीगण को आने– जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 266/1 में से दिया जाएं तो नजदीक व निकटतम विकल्प है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। दुसरा कोई भी विकल्प नहीं हैं रास्ते के आवेदन में जबाब देने का अवसर नहीं हैं आवेदन समरी प्रोसेडिंग का आवेदन हैं जो स्वीकार योग्य है। जानबुझकर आवेदन को लम्बा करने के लिए विप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पेश किया हैं नजदीक विकल्प का कोई उत्तर विप्रार्थीगण द्वारा नहीं दिया गया हैं इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन हैं कि प्रार्थीगण ने तंग व परेशान करने के लिए आवेदन पेश किया हैं जो खारीज योग्य हैं अन्य खसरों में से आने– जाने का विकल्प मौजुज होने के बावजुद भी रास्ता विप्रार्थीगण के खेत में से जबरदस्ती से निकाल रहे हैं प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के खेत में से रास्ते की मांग करने के हकदार नहीं हैं इसलिए आवेदन खारीज किया जाएं मौका रिपोर्ट एक तरफा बनाई गई हैं विप्रार्थीगण को सुनवाई का मौका नहीं दिया हैं न ही आवेदन के जबाब का मौका दिया हैं इसलिए आवेदन खारीज योग्य है।

बहस विद्वान अधिवक्ता की उभयपक्ष की विस्तारपूर्वक सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा, जमाबंदी एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना का गहनता से अध्ययन किया गया।

राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है:–

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251(क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:–

251(क) "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना –

(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो इस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा

(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जिज नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 251(क) में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

भू–अभिलेख निरीक्षक बोर चारणान् की दिनांक 14.07.2023 जांच रिपोर्ट, मौका फर्द एवं प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे एवं जमाबंदी के अनुसार पटवार मण्डल बोर चारणान् ग्राम डबोई खसरा संख्या 267 क्षेत्रफल 10.3680 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त सहखातेदारी की आराजी है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी खेत ग्राम डबोई के खसरा संख्या 266/1 क्षेत्रफल 1.9991 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आराजी है।

प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए एकमात्र न्यूनतम एवं निकटतम रास्ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बोर चारणान् के जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम डबोई के

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला-बाड़मेर) seal

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 266/1 क्षेत्रफल 1.9991 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 84.5 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा (क्षेत्रफल–84.5x6=507) रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाए गए हरे रंग के अनुसार कुल 0.0507 हैक्टेयर रकबा का प्रस्तावित है।

हम भू.अ.नि. बोर चारणान् की रिपोर्ट से सहमत हैं तथा यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए रास्ते की मांग नहीं की जा रही है तथा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम एवं निकटतम वैकल्पिक रास्ता है। तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम डबोई के उक्त खसरा संख्या 266/1 की भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर 231829 रुपए प्रति हैक्टेयर है। खसरा सं. 266/1 में से रास्ता हेतु प्रस्तावित 507 वर्ग मीटर भूमि की आनुपातिक वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर 11760/– रुपए बनती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा डबोई के खसरा सं. 266/1 में से 507 वर्ग मीटर भूमि पर से भू.अ. नि. बोर चारणान् के प्रस्ताव अनुसार (नक्शा ट्रेस में हरा रंग के अनुसार) खातेदारान अप्रार्थीगण की अभिधृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत करते हुए नियम अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना स्वीकृत करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–: : आदेश : :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

01. तहसीलदार धोरीमन्ना एवं भू.अ.नि. बोर चारणान् के प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप (रंग हरा) ग्राम डबोई के खसरा सं. 266/1 में से 84.5 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा (क्षेत्रफल–84.5x6=507) रास्ता प्रार्थी संख्या 01 से 03 के खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत किया जाता है।
02. उपर्युक्त खसरा 266/1 की प्रचलित डी.एल.सी. दर 231829 रुपए प्रति बीघा है तथा स्वीकृत रास्ता भूमि जिसके लिए प्रतिकर देय है अर्थात् 507 वर्ग मीटर भूमि की आनुपातिक प्रचलित डीएलसी दर 11760/– रुपए बनती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम 70(1) (II) (क) के

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार प्रतिकर राशि प्रचलित वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी अर्थात् 23520 रुपए (अक्षरे तेईस हजार पांच सौ बीस रुपए मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि यह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा सं. 266/1 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान/वितरित करें।

03. खसरा सं. 266/1 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 से 03 तक द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशित प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा।

04. तहसीलदार धोरीमना के कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0 /2023/1244 दिनांक 19.07.2023 के अनुसार पटवार मण्डल बोर चारणान् ग्राम डबोई के खेत खसरा संख्या 266/1 में से 84.5 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा (क्षेत्रफल–84.5x6=507) अर्थात रकबा 0.0507 हेक्टेयर प्रस्तावित बरंग हरा रास्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खातेदार में से कम कर राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करें। मौका रिपोर्ट निर्णय की अभिन्न अंग व अंश रहेगी।

05. तहसीलदार धोरीमन्ना भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर रास्ते का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाने पर उन्हें हटाएं।

06. तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

07. पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक– 27-02-2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner